सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner, Customs & Central Tax,
विशाखापटनम क्षेत्र Visakhapatnam Zone
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापट्टनम – 530035
1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam – 530035
(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942 ccu-cexvzg@nic.in

फा.सं. VIII/48/47/2019–सीसी(वीजेड) दिनांक: 09/07/2021

<u>जन सूचना सं. 02/2021</u>

विषय: अप्रत्यक्ष मूल्यांकन में सुधार – सीमा शुल्क निकासी में तेजी लाने के लिए उपायों - के संबंध में।

****

अप्रत्यक्ष निर्धारण पर बोर्ड के परिपत्र संख्या 14/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 07/07/2021, संख्या 40/2020-सीमा शुल्क दिनांक 04/09/2020, संख्या 34/2020-सीमा शुल्क दिनांक 30/07/2020 और संख्या 28/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 05/06/2020 तथा इस कार्यालय के जन सूचना संख्या 02/2019 दिनांक 25/10/2019 और संख्या 01/2020 दिनांक 14/09/2020 की ओर आयातकों, सीमा शुल्क दलालों, शिपिंग लाइनों/एजेंटों, लॉजीस्टि क सेवा प्रदाताओं, सीएफएस/आईसीडी संरक्षकों, व्यापार वर्ग और अन्य हितधारकों का ध्यान आकर्षति किया जाता है ।

2. बोर्ड ने हाल ही में अप्रत्यक्ष निर्धारण (फेसलेस असेसमेंट) के कार्यान्वयन की व्यापक समीक्षा की है और आयातित सामानों के मूल्यांकन और सीमा शुल्क निकासी की गति में तेजी लाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपायों पर विचार किया है। बोर्ड ने पाया कि त्वरित निर्धारण, अनामित निर्धारण और निर्धारण में एकरूपता के संदर्भ में अप्रत्यक्ष निर्धारण के उद्देश्यों बहुत हद तक प्राप्त किया गया है। हालांकि, बोर्ड का मानना है कि इसमें अब भी सुधार की गुंजाइश है जो संभावित रूप से निर्धारण और सीमा शुल्क निकासी की गति में पर्याप्त वृद्धि की ओर ले जाएगा, जबकि व्यापार वर्ग के साथ इंटरफेस को कम करने की दृष्टि से निर्धारण और अनामि तता में में एकरूपता को और बढ़ा जाएगा।

3. तदनुसार, बोर्ड ने सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष निर्धारण और निकासी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित उपायों को लागू करने का निर्णय लिया है:

3.1 **सुविधा स्तरों में वृद्धि :** बोर्ड ने पहले आयात में सुविधा के स्तर की समीक्षा की और परिपत्र संख्या 39/2011-सीमा शुल्क दिनांक 02/09/2011 के माध्यम से निर्णय लिया कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के लिए सुविधा लक्ष्य 80%, बंदरगाहों के लिए 70% और आईसीडी के लिए 60% होना चाहिए। तब से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के साथ-साथ मौजूदा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं। परिणामस्वरूप, मई 2021 के लिए सभी सीमा शुल्क स्टेशनों में अखिल भारतीय औसत सुविधा स्तर 77% होने के साथ समग्र औसत सुविधा स्तर पहले ही इन स्तरों से अधिक हो गए हैं। बोर्ड यह भी नोट करता है कि मशीन लर्निंग और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग जोखिम भरी परेषण (खेपों) को अब आरएमएस को अधिक सटीक रूप लक्षि त करने में सक्षम बनाता है, इस प्रकार एफएजी द्वारा निर्धारण के लिए कम संख्या में आगम बिलों पर अधिक ध्यान केंद्रित होता है ।
इस प्रकार, बोर्ड ने निर्णय लिया है कि दिनांक 15/07/2021 से सभी सीमा शुल्क स्टेशनों में आरएमडी से संबंधित सुविधा स्तर को 90% तक बढ़ाया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी बिल ऑफ एंट्री के अवरोधन में यादृच्छिकता का तत्व आरएमएस द्वारा बरकरार रखा जाएगा। इस उपाय से जोखिम भरे आयातों पर अधिक ध्यान देने के साथ गैर-जोखिम वाले आयातों की तेजी से निकासी सक्षम होने की उम्मीद है, ताकि राजस्व सुरक्षित रहे। उपरोक्त परिपत्र को तदनुसार संशोधित किया जाता है ।

3.2 मूल्यांकन/निर्धारण प्रक्रिया में तेजी लाना:

(i) सभी एफएजी के काम के घंटे किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक एक समान होंगे। तथापि, सीमा शुल्क के कामकाज की प्रकृति को देखते हुए, निर्धारित रोस्टर के अनुसार छुट्टियों के दौरान पर्याप्त संख्या में निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, समय-समय पर उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं या स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, क्षेत्राधिकारी प्रधान आयुक्त/आयुक्त स्थानीय निर्देश जारी कर अधिकारियों को प्रातः 10 बजे से सायं 8 बजे के निर्धारित समय अंतराल के बाद कार्य करने के लिए अनुदेश दे दे सकते हैं।

(ii) एक आगम बिल के संबंध में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उठाए जा सकने वाले प्रश्नों की कुल संख्या अब 3 (तीन) तक सीमित होगी । इसके अलावा, इस तरह के प्रश्न अब अपर/संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क के अनुमोदन के बिना उठाए जा सकते हैं । परिपत्र संख्या 55/2020-सीमा शुल्क दिनांक 17.12.2020 को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। इस संबंध में, प्रश्नों की संख्या की इस सीमा पर विचार करते हुए, बोर्ड चाहता है कि, मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन/वर्गीकरण आदि के संबंध में सहायक विवरण/दस्तावेजों का संदर्भ देते हुए स्पष्ट और समग्र तरीके से पूछताछ करे, ताकि आयातक को कोई संदेह न हो और वह सत्यापन के शीघ्र पूरा होने के लिए स्पष्ट रूप से उत्तर देने की स्थिति में है।

(iii) 5 (पांच) आगम बिलों 'अलग' करने का विकल्प, जो पहले से ही मूल्यांकक/अधीक्षक के पास उपलब्ध है, के लिए अब से सीमा शुल्क के उप/सहायक आयुक्तों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। यह उम्मीद की जाती है कि मूल्यांकक/अधीक्षक कुछ वास्तविक मुद्दों को हल करने के लिए कुछ आगम बिलों (सीमा तक) को अलग रखने की सुविधा का उपयोग करेंगे।

3.3 एफएजीएस का पुनर्गठन - विशेषज्ञता: मूल्यांकन में विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए, बोर्ड ने कुछ वस्तुओं के लिए अलग एफएजी बनाने का निर्णय लिया है: जो राजस्व में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ये नए एफएजी 15.07.2021 से चालू हो जाएंगे, और जो इस प्रकार होंगे:

वर्तमान निर्धारण समूह (सीटीएच)	नये एफ ए जी समूह (सीटीएच)
1(01-26)	1(01-15) - मूल उत्पाद 1
	1 बी (16-26) – मूल उत्पाद 2
4(72-83)	4(72-73) - लौह आधारित धातु
	4(74-83) - अलौह आधारित धातु
5 (84)	5 (8401-8469) - यांत्रिक मशीनरी - I
	5ई (8470-8473) - यांत्रिक मशीनरी - II
	5 एन (8474-8487) - यांत्रिक मशीनरी - III
5 ए (85)	5 ए (8501-8516) - विद्युत मशीनरी
	5 सी (8517-8531) - संचार और संबंधित उपकरण
	5 एम (8532-8548) - माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स
5 बी (86-92)	5 वी (86-87) - वाहन
	5 एफ (88) - विमान
	5 एस (89) - जहाजों
	5 आई (90-92) - उपकरण एवं यंत्र

3.4 एफएजी का पुनर्गठन - कार्यभार का अनुकूलन : हाल के दिनों में विभिन्न जोन में एफएजी की संरचना और निष्पादन की जांच एफएजी द्वारा संभाले गए आगम बिल की मात्रा पर विचार करते हुए की गई है। उनके प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए, बोर्ड ने इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक-I के अनुसार एनएसी को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है । परिणामस्वरूप, परिपत्र संख्या 45/2020-सीमा शुल्क दिनांक 12/10/2020 के अनुलग्नक-II को इस सीमा तक संशोधित किया गया है। उपलब्ध जनशक्ति की कुशल तैनाती के साथ बेहतर और तेज मूल्यांकन के उद्देश्यों में सामंजस्य बनाने के लिए उचित ध्यान रखा गया है । विशेष रूप से, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि एफएजी के पुन: संयोजन से वर्तमान में जोनों द्वारा नियंत्रित किए जा रहे समग्र कार्यभार (यानी बीई) में अनुपातहीन कमी/वृद्धि न हो। चूंकि एनएसी की स्थापना या पुनर्गठन के लिए मानदंड गतिशील चर हैं, अप्रत्यक्ष मूल्यांकन के निष्पादन में और सुधार के लिए बोर्ड एनएसी के परामर्श से समय-समय पर समीक्षा करेगा।

3.5 प्रत्यक्ष बंदरगाह वितरण (डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी)/(डीपीडी) को बढ़ाना : परिपत्र संख्या 29/2019-सीमा शुल्क दिनांक 05/09/2019 आयातकों द्वारा डीपीडी का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करता है। तब से आगम बिल (बिल ऑफ एंट्री) की अग्रिम फाइलिंग सहित कई उपायों ने आयात कार्गो के लिए प्रतिवर्तन समय (टर्न-अराउंड समय) को तेज किया है। सुविधा स्तरों को बढ़ाने का वर्तमान निर्णय भी इसी दिशा में एक कदम है। हालाँकि, जहाँ सुविधा स्तर ऊपर जा रहे हैं, वहीं डीपीडी (DPD) का स्तर उसी के अनुरूप नहीं बढ़ रहा है। यह मुख्यत: इसलिए है क्योंकि वर्तमान नीति में एक इकाई आधारित डीपीडी होना है जबकि सुविधा स्तर प्राथमिक रूप से आगम बिल (बिल ऑफ एंट्री) से जुड़े हुए हैं। तदनुसार, तेजी से सीमा शुल्क निकासी के साथ-साथ बंदरगाहों की भीड़भाड़ कम करने के लिए डीपीडी को बढ़ाने के लिए, बोर्ड ने इकाई आधारित डीपीडी से बिल ऑफ एंट्री आधारित डीपीडी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। संक्षेप में, उक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन में, बोर्ड ने निर्णय लिया है कि, एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, सभी अग्रिम बिल ऑफ एंट्री जो पूरी तरह से सुविधाजनक हैं (मूल्यांकन 86/या परीक्षा की आवश्यकता नहीं है) को डीपीडी की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि, यह सुविधा एईओ ग्राहकों के लिए विस्तारित इकाई आधारित डीपीडी की वर्तमान प्रणाली के अतिरिक्त है । हालांकि, जिस इकाई के बिल ऑफ एंट्री को डीपीडी के लिए सुगम बनाया

गया है, उसे कंटेनर की भौतिक डिलीवरी लेने के लिए बंदरगाहों/टर्मिनलों/अभिरक्षकों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा। इसके अलावा, बंदरगाहों/टर्मिनलों/ अभिरक्षकों द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग को अनुकूलित करने के लिए, आईगेट (ICEGATE) कार्गो के आगमन पर बंदरगाहों/टर्मिनलों/अभिरक्षकों को भेजे जा रहे इलेक्ट्रॉनिक संदेश को संशोधित करेगा, साथ ही डीपीडी प्रदान किए गए (या इसके लिए तैयार) कंटेनरों को आईईसी विवरण के साथ चिह्नित करेगा। जहां लागू हो ध्वज विशिष्ट कंटेनरों की स्कैनिंग की आवश्यकता को भी इंगित करेगा। यह इन कंटेनरों के स्टैकिंग और संचलन में कुशल योजना की सुविधा के लिए प्रवेश के चरण में किया जाएगा और इस प्रकार उनके प्रतिवर्तन (टर्न-अराउंड) समय को तेज करेगा। इसी तरह का संदेश आयातक/सीमा शुल्क दलाल (ब्रोकर) को भेजा जाएगा।

3.6 परीक्षण आदेशों का स्वचालित जारी करना : एकरूपता बढ़ाने और परीक्षा आदेशों को कारगर बनाने के लिए, बोर्ड ने देश भर के सभी सीमा शुल्क स्टेशनों पर आरएमएस जनरेटेड समान परीक्षण आदेश जारी करने करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, परिपत्र संख्या 45/2020-सीमा शुल्क दिनांक 12.10.2020 के पैरा 2.3 के अनुसार सामान्यत: प्रथम जांच की आवश्यकता वाली मदों के आयात को अब प्रथम जांच परीक्षा के लिए सीधे शेड में भेजा जाएगा। ऐसे पहले चेक आगम बिल (बिल ऑफ एंट्री) को अब निर्धारण के लिए एफएजी को भेजा जाएगा, जब सीमा शुल्क प्रणाली में शेड अधिकारियों द्वारा पहली चेक परीक्षण रिपोर्ट अपलोड की जाएगी। इस पर विस्तृत कार्यान्वयन परामर्श शीघ्र ही जारी की जाएगी।

3.7 अज्ञात वृद्धि : बड़े पैमाने पर मूल्यांकन में देरी से संबंधित व्यापार की शिकायतों को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए, महानिदेशक, प्रणाली (डीजी सिस्टम) जल्द ही आइसगेट पर एक अनामक वृद्धि तंत्र (एईएम) का संचालन शुरू करेगा, जो आयातकों / सीमा शुल्क दलालों को विलंबित आगम बिल की शीघ्र निकासी की अपनी आवश्यकता को सीधे पंजीकृत करने के लिए सशक्त करेगा, जो कि मूल्यांकन या परीक्षा के लिए लंबित हुआ हो सकता है। अन्य के साथ एईएम की विशेषताओं में शामिल होंगे :

i. 1 कार्य दिवस से अधिक की देरी के मामले में, एक आयातक/सीमा शुल्क दलाल आइसगेट के माध्यम से एईएम शुरू करने में सक्षम होगा या इसके लिए टीएसके से संपर्क कर सकेगा।

ii. एईएम संबंधित एफएजी और आयात बंदरगाह के सीमा शुल्क के अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्तों को एक अधिसूचना के साथ संबंधित एफएजी/आयात शेड को स्वचालित रूप से शिकायत भेज देगा।

iii. संबंधित एफएजी को शिकायत का तत्काल निपटान करना आवश्यक है और इसकी निगरानी संबंधित एफएजी/आयात शेड के संबंधित अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क द्वारा की जाएगी।

iv. निपटान की स्थिति को आइसगेट, टीएसके, एफएजी के डैशबोर्ड पर और संबंधित अधिकारियों को अद्यतन किया जाएगा।

4. जैसा कि ऊपर बताया गया है, पैरा 3.1 से 3.5 में निर्धारित परिवर्तन 15/07/2021 से प्रभावी होंगे।

5. इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी कठिनाई या संदेह को कृपया संबंधित आयुक्तालय के सीमा शुल्क के अतिरिक्त / संयुक्त आयुक्तों के ध्यान में लाया जाए ।

6. इसे प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय जीएसटी, विशाखापटनम जोन, विशाखापटनम के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता.
(वाई. भास्कर राव)
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ :
1. संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क), सीबीआईसी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. प्रधान महानिदेशक, प्रणाली एवं आंकडा प्रबंधन, सीबीआईसी, नई दिल्ली।
3. विशेष कार्य अधिकारी (सीमा शुल्क IV), सीबीआईसी, राजस्व विभाग, नई दिल्ली।
4. सीमा शुल्क ब्रोकर एसोसिएशन, विशाखापटनम और सीपीसी, विजयवाड़ा ।
5. नोटिस बोर्ड।

प्रतिलिपि :
1. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, सीमा शुल्क सदन, विशाखापटनम।
2. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, सीपीसी, विजयवाड़ा।

संदर्भित बोर्ड के परिपत्र और इस जन सूचना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त स्थायी आदेश जारी करने के अनुरोध के साथ।